



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 210 राँची, सोमवार, 9 मई, 2022 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

18 अक्टूबर, 2019

संख्या- 8/सी०-604/2013-5430--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला संवर्ग के पुर्नगठन व भर्ती की पद्धति एवं सेवा शर्तों के लिए पुलिस हस्तक नियम 1978 खण्ड (1) के नियम-1255 एवं 1257 एवं खण्ड (3) के परिशिष्ट "क" में कतिपय संशोधन करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-5172, दिनांक-26.11.2012 द्वारा गठित झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली-2012 में उक्त संशोधन अधिसूचना संख्या-5596, दिनांक-09.10.2013 एवं अधिसूचना संख्या-4916, दिनांक-21.10.2016 तथा झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा को समेकित कर नयी नियमावली गठित करते हैं ।

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:

- (i) यह नियमावली झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2019 कही जाएगी ।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड, राज्य होगा ।
- (iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाये:

इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (i) राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला से अभिप्रेत है-राँची स्थित राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला।
- (ii) भ्रम्यमान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से अभिप्रेत है- जिला मुख्यालय स्थित भ्रम्यमान (चलन्त) विधि विज्ञान प्रयोगशाला।
- (iii) संवर्ग से अभिप्रेत है- एक पृथक इकाई के रूप में इस नियमावली के अधीन स्वीकृत संवर्ग के पद या बल ।
- (iv) सरकार से अभिप्रेत है- झारखण्ड राज्य की सरकार ।
- (v) अनुसूची से अभिप्रेत है- इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची ।
- (vi) राज्यपाल से अभिप्रेत है- झारखण्ड राज्य के राज्यपाल ।
- (vii) लोक सेवा आयोग से अभिप्रेत है- झारखण्ड लोक सेवा आयोग ।
- (viii) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से अभिप्रेत है- राज्य स्थित कर्मचारी चयन आयोग ।
- (ix) सेवा से अभिप्रेत है- राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा ।
- (x) नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है-
 - (क) झारखण्ड राज्यपाल (राजपत्रित के मामले में) ।
 - (ख) निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (अराजपत्रित के मामले में) ।
- (xi) कार्यालय से अभिप्रेत है- निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला का कार्यालय ।

परिस्थिति

3. भ्रम्यमान विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के नियंत्रणाधीन होगा तथा दोनों का संयुक्त संवर्ग होगा। प्रयोगशाला निम्नांकित प्रशाखाओं में विभक्त होंगे :-

- (i) सामान्य भौतिकी प्रशाखा
- (ii) आग्नेयास्त्र प्रशाखा
- (iii) फोटोग्राफी प्रशाखा
- (iv) साईबर फॉरेंसिक प्रशाखा
- (v) फॉरेंसिक इंजीनियरिंग एवं इन्सट्रुमेंटेशन प्रशाखा
- (vi) डॉक्यूमेंट प्रशाखा
- (vii) सामान्य रसायन प्रशाखा
- (viii) विष विज्ञान प्रशाखा
- (ix) विस्फोटक प्रशाखा
- (x) नारकोटिक्स प्रशाखा
- (xi) जीव विज्ञान प्रशाखा
- (xii) सिरोलॉजी प्रशाखा
- (xiii) डी०एन०ए० प्रशाखा
- (xiv) लाई डिटेक्शन प्रशाखा

4

क्रम संख्या	पदनाम	पे-बैंड/वेतन	ग्रेड पे	वर्ग	पदों की संख्या
1	निदेशक	PB-IV (37400-67000)	8700/-	ए	1
2	अपर निदेशक	PB-III (15600-39100)	7600/-	ए	2
3	उप निदेशक	PB-III (15600-39100)	6600/-	ए	5
4	संयुक्त उप निदेशक	PB-II (9300-34800)	5400/-	बी	10
5	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी	PB-II (9300-34800)	4800/-	बी	66
6	वैज्ञानिक सहायक	PB-II (9300-34800)	4200/-	बी	84

5. सेवा के उक्त पद निम्नांकित में विभाजित होंगे-

वैज्ञानिक संवर्ग-

(क) निदेशक

(ख) अपर निदेशक

(ग) उप निदेशक

(घ) संयुक्त उप निदेशक

(ङ) सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी

(च) वैज्ञानिक सहायक

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की प्रत्येक प्रशाखा का अलग-अलग वैज्ञानिक होगा, जबकि राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अधीन वैज्ञानिक संवर्ग एक ही होगा ।

भर्ती/प्रोन्नति

6. वैज्ञानिक संवर्ग:

(i) वैज्ञानिक सहायक के पद पर नियुक्ति

प्रत्येक प्रशाखा के वैज्ञानिक संवर्गों में वैज्ञानिक सहायक का शत-प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा। सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अहर्तायें परिशिष्ट-1 के अनुरूप होगी। सीधी भर्ती द्वारा चयन झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी। चयन का माध्यम लिखित परीक्षा द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी। आयोग इस पद के लिए प्रशाखावार अनुसंशा सीधे निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राँची को उपलब्ध कराएगा। निदेशक इस पद (अराजपत्रित) पर नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकार होंगे। प्रत्येक प्रशाखा का वैज्ञानिक अलग-अलग होने के कारण वैज्ञानिक सहायक की वरीयता सूची भी अलग-अलग होगी। वरीयता मेधा सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी। प्रयोगशाला का एक वैज्ञानिक संवर्ग होने के कारण चयन आयोग प्राप्तांक के आधार पर एक समेकित वरीयता सूची उपलब्ध करायेगी, जो सभी प्रशाखा के संयुक्त उप-निदेशक का समेकित वरीयता निर्धारण का आधार होगा ।

(a) उम्र सीमा- न्यूनतम उम्र सीमा- 21 वर्ष होगी। (उम्र निर्धारण हेतु कटऑफ डेट अध्यायना वर्ष की एक अगस्त रहेगी) ।

अधिकतम उम्र सीमा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित उम्र सीमा मान्य होगी ।

(b) शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता- परिशिष्ट-I के अनुरूप होगी।

(c) चयन का माध्यम- लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) के द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में संबंधित विषय के 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। जिसमें Negative Marking का प्रावधान होगा। जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तय किया जाएगा। लिखित परीक्षा में श्रेणीवार न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-13026, दिनांक-27.11.12 के अनुरूप होगा ।

(d) परीक्षा अवधि 2 घंटे का होगा ।

(e) पाठ्यक्रम- परिशिष्ट-II में वर्णित संबंधित विषय के अनुरूप होगा ।

(f) कम्प्यूटर ज्ञान एवं संचालन हेतु कर्मचारी चयन आयोग द्वारा Window, MS Office, Internet तथा E-mail इत्यादि से 50 प्रश्न लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) की जाँच परीक्षा ली जायेगी। जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके प्राप्तांक को मेधा सूची में नहीं जोड़ा जायेगा ।

(ii) सहायक निदेशक /वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति

प्रशाखा के वैज्ञानिक संवर्ग के अधीन सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के 75% (पचहत्तर प्रतिशत) पद सीधी भर्ती तथा 25% (पचीस प्रतिशत) पद उस प्रशाखा के वैज्ञानिक सहायकों से प्रोन्नति के द्वारा भरे जायेंगे। सीधी भर्ती द्वारा चयन की कार्यवाही झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी। प्रशाखा के वैज्ञानिक संवर्ग के सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग कार्य-सीमन विनियम-2000 के नियम - 7(ग)(1) के अनुसार राज्य सेवा/कैंडर के बेसिक ग्रेड के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले में झारखण्ड लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करना आवश्यक होगा। तदनुसार सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के 75% (पचहत्तर प्रतिशत) पद जिन्हें झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अनुसंशा के आलोक में सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है, के अनुरूप ही सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के 25% (पचीस प्रतिशत) पद जिन्हें प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है, के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में की जायेगी ।

नियुक्ति की योग्यताएं एवं अर्हतायें परिशिष्ट-I के अनुरूप होगी ।
सीधी नियुक्ति हेतु

(a) उम्र सीमा- न्यूनतम उम्र सीमा-21 वर्ष होगी। (उम्र निर्धारण हेतु कटऑफ डेट अधियाचना वर्ष की एक अगस्त रहेगी) ।

अधिकतम उम्र सीमा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित उम्र सीमा मान्य होगी ।

(b) शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता- परिशिष्ट-I के अनुरूप होगी ।

(c) पाठ्यक्रम- परिशिष्ट-II में वर्णित संबंधित विषय के अनुरूप होगा ।

(d) चयन का माध्यम- लिखित (वस्तुनिष्ठ), साक्षात्कार एवं कार्यानुभव के लिए देय अंक के योग के अनुसार प्राप्त वरीयता क्रम के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में संबंधित विषय से 100 वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्न पूछे जायेंगे। जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 03 अंक एवं कुल 300 अंक का होगा। जिसमें मुल्यांकन के समय Negative Marking का प्रावधान होगा। जो आयोग द्वारा तय किया जाएगा। परीक्षा अवधि 02 घंटे की होगी ।

(e) साक्षात्कार- साक्षात्कार के लिए अधिकतम 30 अंक दिए जायेंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर गुणा क्रम में विभिन्न प्रशाखाओं से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के अनुरूप साक्षात्कार के लिए आमंत्रित होंगे। जो आयोग के नियमानुसार होगा। साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होगा। (साक्षात्कार लेने हेतु राज्य या भारत सरकार के विश्वविद्यालय से संबंधित विषय के प्राध्यापक एवं राज्य या भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के Forensic विशेषज्ञ Expert के रूप में रहेंगे।)

(f) कार्यानुभव के लिए देय अंक- राज्य या भारत सरकार के किसी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्यानुभव के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक एवं अधिकतम 20 वरीयता अंक दिए जायेंगे ।

(g) कम्प्यूटर ज्ञान एवं संचालन हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा Window, MS Office, Internet तथा E-mail इत्यादि से 50 प्रश्न लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) की जाँच परीक्षा ली जायेगी। जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके प्राप्तांक को मेधा सूची में नहीं जोड़ा जायेगा ।

(h) मेधा सूची- लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं कार्यानुभव के देय अंक के प्राप्तांकों को जोड़कर बनाई गई मेधा-सह-वरीयता सूची पर की जाएगी ।

प्रत्येक प्रशाखा के वैज्ञानिक अलग-अलग होने के कारण सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी की वरीयता सूची भी अलग-अलग होगी, परन्तु प्रयोगशाला के एक ही वैज्ञानिक संवर्ग होने के कारण झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग एक समेकित मेधा सूची उपलब्ध करायेगी। जो सभी प्रशाखा के संयुक्त उप-निदेशक का समेकित वरीयता निर्धारण का एक आधार होगा ।

सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के 25% (पचीस प्रतिशत) प्रोन्नति के पद प्रशाखा के वैज्ञानिक सहायकों से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति देकर भरे जायेंगे। प्रोन्नति के लिए मूल कोटि के पद पर संपुष्टि एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक होगी। प्रोन्नति के लिए विभागीय/निगरानी स्वच्छता एवं विगत पाँच वर्षों की चरित्र अनुकूल होनी चाहिए। प्रोन्नति हेतु निर्धारित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति आलेखन के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा ।

प्रोन्नति के लिए सक्षम प्राधिकार राज्यपाल होंगे ।

(iii) संयुक्त उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए निर्धारित पद यथा- सहायक निदेशक (रू० 9300-34800, ग्रेड पे-4800/-) एवं उप निदेशक (रू० 15600-39100, ग्रेड पे-6600/-) के बीच ग्रेड पे-रू० 5400/- के लिए एक पद की अपरिहार्यता के कारण वैज्ञानिक संवर्ग के लिए संयुक्त उप निदेशक का पद समाविष्ट किया जाता है ।

प्रशाखा के संयुक्त उप निदेशक के पद उस प्रशाखा के वैज्ञानिक संवर्ग के सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी से प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। प्रोन्नति वरीयता -सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त कर की जायेगी। विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना वही होगी, जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रोन्नति के लिए सक्षम प्राधिकार राज्यपाल होंगे ।

(iv) उप निदेशक का पद, जो सेवा के अधीन सभी प्रशाखाओं के संयुक्त उप निदेशक की समेकित वरीयता सूची से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। प्रत्येक

प्रशाखा के वैज्ञानिक अलग-अलग होने के कारण सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी की वरीयता सूची भी अलग-अलग होगी, परन्तु प्रयोगशाला के एक ही वैज्ञानिक संवर्ग होने के कारण लोक सेवा आयोग प्राप्तांक के आधार पर एक समेकित वरीयता सूची उपलब्ध करायेगी। जो सभी प्रशाखा के संयुक्त उप-निदेशक का समेकित वरीयता निर्धारण का आधार होगा एवं संयुक्त उप-निदेशक के पद पर प्रोन्नति के उपरांत नियुक्ति के तिथि को भी समेकित वरीयता निर्धारण में ध्यान रखा जायेगा।

अपर निदेशक का पद उप-निदेशक से तथा निदेशक के पद को राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

इस संवर्ग के सभी पदों पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप वही होगा, जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित है। प्रोन्नति के लिए सक्षम प्राधिकार राज्यपाल होंगे।

- (v) निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एक गैर संवर्गीय पद होगा, जिसे झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा। जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ निम्न प्रकार होगी:-

(a) शैक्षणिक योग्यता:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ भौतिकी, गणित, रसायन, जन्तु विज्ञान, जीव विज्ञान, माल्युकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वनस्पति विज्ञान में M.Sc होना आवश्यक होगा।

अथवा

55% अंको के साथ के साथ मनोविज्ञान में M.A या M.Sc

अथवा

55% अंको के साथ के साथ M.C.A. B. Tech/B.E (सूचना प्रौद्योगिकी), B. Tech./B.E (Computer Science, B. Tech./B.E (Electronics and Instrumentation)

अथवा

55% अंको के साथ Forensic Science में M.Sc

(b) अन्य अर्हताएँ: किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उपनिदेशक अर्थात् ग्रेड पे-रू० 6600 में 08 वर्षों का कार्यानुभव अथवा अपर निदेशक अर्थात् ग्रेड पे रू० 7600 में 05 वर्षों का कार्यानुभव होना आवश्यक होगा ।

(c) उम्र सीमा अधिकतम 55 वर्ष होना चाहिए ।

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में निदेशक का पद रिक्त होने एवं सीधी नियुक्ति में विलम्ब होने की स्थिति में इस पद पर पे बैंड PB IV (37400-67000) ग्रेड पे 8700 वर्ग ए के स्तर के केन्द्र/राज्य सरकार के अन्य समरूप पद धारकों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापन किया जायेगा ।

आरक्षण

7. रिक्तियों में आरक्षण:

भर्ती एवं प्रोन्नति के मामले में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत नियम/परिपत्र के अनुसार प्रावधान लागू होंगे ।

8. रिक्तियों का निर्धारण एवं आयोग को सूचित करना:

विभाग द्वारा 01 मई जनवरी तक रिक्ति की गणना कर झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को 28/29 फरवरी तक सूचित करेगा, साथ ही उम्र निर्धारण हेतु कट-ऑफ- डेट अध्यायना वर्ष की 01 अगस्त रहेगी ।

9. परिवीक्षा अवधि:

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के पश्चात् पदभार ग्रहण करने वाले कार्मिक पदग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे ।

(ख) परिवीक्षा में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। यदि वर्णित अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं हो, तो उस अभ्यर्थी को सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा ।

10. प्रशिक्षण:

परिवीक्षा अवधि में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कोर्स को पूरा करना होगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण कराये जाने की जिम्मेदारी निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की होगी। प्रशिक्षण में सफल होना अनिवार्य होगा। सेवा अवधि के दौरान अपने प्रयोगशाला में प्रशाखा के कार्य से संबंधित In house प्रशिक्षण के अतिरिक्त समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा आयोजित संबंधित प्रशिक्षण कोर्स करना अनिवार्य होगा ।

11. संपुष्टि:

परिवीक्षा अवधि समाप्ति के पश्चात् विहित प्रशिक्षण में उत्तीर्णता, चारित्र्य आदि को ध्यान में रखते हुए संपुष्टि नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी ।

वैज्ञानिक सहायकों की सेवा सम्पुष्टि हेतु (i) हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा (ii) किसी एक जनजातीय भाषा (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित) एवं (iii) लेखा परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक होगी। परीक्षा का आयोजन राजस्व पर्षद द्वारा किया जायेगा ।

सहायक निदेशकों/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि हेतु (i) हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा (ii) किसी एक जनजातीय भाषा (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित) (iii) लेखा परीक्षा एवं (iv) विभागीय परीक्षा (झारखण्ड सेवा संहिता, वित्त संहिता, कोषागार संहिता, सरकारी सेवक नियमावली, पेंशन नियमावली, छुट्टी नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, आदि) में उत्तीर्णता आवश्यक होगी। जिसका आयोजन राजस्व पर्षद द्वारा किया जायेगा ।

12. वेतनादि:

सरकार द्वारा यथा निर्धारित वेतन देय होंगे तथा समय-समय पर अनुमान्य वार्षिक वेतन वृद्धि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार होंगे। विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही वेतन वृद्धि देय होगा ।

13. कालावधि:

पदाधिकारियों की प्रोन्नति हेतु कालावधि निम्नरूपेण होगी:-

प्रोन्नति का पद	निर्धारित सेवा अवधि	जिस पद से प्रोन्नति की जायेगी
सहायक निदेशक/ वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (रू0 9300-34800, G.P.4800)	कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार 06 वर्ष	वैज्ञानिक सहायक (रू0 9300-34800, GP-4200)
संयुक्त उप निदेशक (रू0 9300-34800, GP-5400)	वही 02 वर्ष	सहायक निदेशक (रू0 9300-34800, GP.-4800)
उप निदेशक (रू0 15600-39100, GP-6600)	वही 05 वर्ष	संयुक्त उप निदेशक (रू0 9300-34800, GP-5400)
अपर निदेशक (रू0 15600-39100, GP-7600)	वही 05 वर्ष	उप निदेशक (रू0 15600-39100, GP-6600)

वैज्ञानिक संवर्ग होने के कारण अग्रेतर प्रोन्नति हेतु अनुभव की आवश्यकता होती है, जिसके मद्देनजर उपरोक्त कालावधि वैज्ञानिक संवर्ग के लिए निर्धारित की गई है ।

14. कार्यक्षेत्र संबंधी अनुबंध:

- वैज्ञानिक सहायक, सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी एवं संयुक्त उप निदेशक का स्थानान्तरण/पदस्थापन अपने प्रशाखा के अधीन ही किया जाएगा ।
- इनका कार्यक्षेत्र संपूर्ण झारखण्ड राज्य होगा ।

- (iii) स्थानान्तरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया कार्यपालिका नियमावली में निहित प्रावधान एवं इस संबंध में समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तें इसके मामले में भी प्रभावी होंगे

15. अन्य सेवा शर्तें:

- (i) इस संवर्ग के लिए अन्य शर्तें यथा- अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, देय सेवानिवृत्ति लाभ इत्यादि जो इस नियमावली में अच्छादित नहीं हैं या जो इस संवर्ग के लिए अलग से अधिसूचित नहीं हैं, राज्य सरकार के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए संबंधित प्रावधानों से नियंत्रित होगी।
- (ii) राज्य सरकार को यह प्राधिकार होगा, कि इस नियमावली के किसी प्रावधानों को निहित प्रक्रिया द्वारा संशोधित व शिथिल कर सके। गृह विभाग इस नियमावली के किसी प्रावधानों को कार्यरूप देने के लिए वैसी प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा, जो इस नियमावली के किसी प्रावधान के प्रतिकूल न हो।
- (iii) प्रोन्नति के पदों पर पदाधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रोन्नति के संवर्गीय रिक्त पदों को वांछित समय हेतु प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जायेगा।
- (iv) राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कर्मियों एवं पदाधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 द्वारा की जायेगी।
- (v) लिखित परीक्षा में श्रेणीवार न्यूनतम अर्हतांक:- लिखित परीक्षा में श्रेणीवार न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-13026, दिनांक-27.11.12 के अनुरूप होगा।
- (vi) उम्र निर्धारण हेतु कट ऑफ डेट (Cut off date) उम्र की गणना अध्याय 1 के 01 ली अगस्त के आधार पर की जाएगी।

16. इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान सेवा नियमावली, 2012 निरसित की जाती है, लेकिन ऐसे निरसन के बावजूद भी उक्त नियमावली के तहत किया गया कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई इस नियमावली के तहत किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस समय प्रवृत्त थी जब ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुखदेव सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट-I

वैज्ञानिक सहायक पद पर सीधी नियुक्ति हेतु नियमावली

क्र.सं०	पदनाम एवं वेतनमान	उम्र सीमा	शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य योग्यता	वांछनीय
1	वैज्ञानिक सहायक, भौतिकी 9300-34800 + 4200 (GP)	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ भौतिकी में एम0एस0-सी0 अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic ScienceमेंM.SCएवं स्नातक स्तर पर B.SC (Physics) Honours होना आवश्यक है।	राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।	
2	वैज्ञानिक सहायक, आग्नेयास्त्र 9300-34800 + 4200 (GP)	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ भौतिकी अथवा गणित विषय में एम0एस0-सी0 अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic ScienceमेंM.SCएवं स्नातक स्तर पर B.SC (Physics or Mathematics) Honours होना आवश्यक है।	राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।	

3	वैज्ञानिक सहायक, साईबर क्राइम/साईबर फॉरेंसिक 9300-34800 + 4200 (GP)	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ एम0सी0ए0 अथवा सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर साइन्स में बी0ई0/बी0 टेक	Not Applicable	
4	वैज्ञानिक सहायक, फॉरेंसिक इन्जिनियरिंग एवं उपकरण 9300-34800 + 4200 (GP)	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ इलेक्ट्रॉनिक, उपकरण में बी0ई0/बी0 टेक अथवा एम0एस0-सी0 उपकरण	Not Applicable	
5	वैज्ञानिक सहायक, फोटोग्राफी 9300-34800 + 4200 (GP)	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ भौतिकी विज्ञान विषय में एम0एस0-सी0 अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Physics) Honours होना आवश्यक है।	राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।	
6	वैज्ञानिक सहायक, डाक्यूमेंट 9300-34800 + 4200 (GP)	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ भौतिकी/ रसायन में एम0एस0-सी0 अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Physics or Chemistry) Honours होना आवश्यक है।	राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।	

7	वैज्ञानिक सहायक, सामान्य रसायन 9300-34800 + 4200 (GP)	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ रसायन शास्त्र में एम0एस0-सी0 अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Chemistry) Honours होना आवश्यक है।	राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।	
8	वैज्ञानिक सहायक, विष विज्ञान 9300-34800 + 4200 (GP)	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ रसायन शास्त्र में एम0एस0-सी0 अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Chemistry) Honours होना आवश्यक है।	राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।	
9	वैज्ञानिक सहायक, विस्फोटक 9300-34800 + 4200 (GP)	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ रसायन शास्त्र में एम0एस0-सी0 अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Chemistry) Honours होना आवश्यक है।	राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।	

			आवश्यक है।	30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।	
10	वैज्ञानिक सहायक, नारकोटिक्स 9300-34800 + 4200 (GP)	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ रसायन शास्त्र में एम0एस0-सी0 अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Chemistry) Honours होना आवश्यक है।	राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।	
11	वैज्ञानिक सहायक, जीव विज्ञान 9300-34800 + 4200 (GP)	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ जन्तु विज्ञान/जीव रसायन/वनस्पतिविज्ञान/मोलेक्यूलर जीव विज्ञान/बायों-टेक्नोलॉजी/माइक्रोबाईलॉजी/लाईफ साइन्स में एम०एस०-सी० अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर किसी एक विषय में B.SC (जन्तु विज्ञान/जीव रसायन/वनस्पति विज्ञान/मोलेक्यूलर जीव विज्ञान/बायों-टेक्नोलॉजी/माइक्रो बाईलॉजी/ लाईफ साइन्स) Honours होना आवश्यक है।	राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।	
12	वैज्ञानिक सहायक, सीरम विज्ञान	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ जन्तु विज्ञान/जीव रसायन/वनस्पति	राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट	

	9300-34800 + 4200 (GP)		विज्ञान/मोलेक्यूलर जीव विज्ञान /बायो-टेक्नोलॉजी/माइक्रो बाईलॉजी/लाईफ साइन्स में एम०एस०-सी० अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर किसी एक विषय में B.SC(जन्तु विज्ञान/जीव रसायन/वनस्पति विज्ञान/मोलेक्यूलर जीव विज्ञान/बायो-टेक्नोलॉजी/माइक्रो बाईलॉजी/लाईफ साइन्स)Honours होना आवश्यक है।	कोर्स होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।	
13	वैज्ञानिक सहायक, डी0एन0ए0 9300-34800 + 4200 (GP)	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ जन्तु विज्ञान/जीव रसायन/वनस्पति विज्ञान/मोलेक्यूलर जीव विज्ञान/बायो-टेक्नोलॉजी/माइक्रोबाईलॉजी/लाईफ साइन्स में एम०एस०-सी० अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर किसी एक विषय में B.SC (जन्तु विज्ञान/जीव रसायन/वनस्पति विज्ञान/मोलेक्यूलर जीव विज्ञान/बायो-टेक्नोलॉजी/माइक्रो बाईलॉजी/ लाईफ साइन्स) Honours होना आवश्यक है।	राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।	
14	वैज्ञानिक सहायक, लाई डिटैक्शन	सरकार द्वारा निर्धारित	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ मनोविज्ञान में एम०ए० या	राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट	

9300-34800 + 4200 (GP)	विहित उम्र सीमा	एम०एस०सी० अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर मनोविज्ञान में B.SC /B.A Honours होना आवश्यक है।	कोर्स होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
------------------------	-----------------	---	--

सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के पदों को सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति से भरे जाने हेतु नियमावली

क्र० सं०	पद का नाम एवं वेतनमान	वर्गीकरण	सीधी भर्ती होने वाले के लिए 1ली जनवरी को उम्रसीमा	सीधी भर्ती होने वाले के अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	प्रोन्नति से नियुक्त होने वालों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	भर्ती की रीति- सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति की दशा में कोटि/पद जिसमें प्रोन्नति दी जाएगी।
1	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (भौतिकी) 9300-34800+4800 (GP)	श्रेणी-II राजपत्रित	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ भौतिकी में एम0एस0-सी0 अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Physics) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/ शोध संस्थान में संबंधित विषय में	(i) शैक्षणिक योग्यता जो वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी) के लिए मान्य है। (ii) कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।		वैज्ञानिक सहायक संवर्ग

				दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना आवश्यक है।			
2	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (आग्नेयास्त्र) 9300-34800+4800 (GP)	श्रेणी-II राजपत्रित	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ भौतिकी अथवा गणित विषय में एम0एस0-सी0 अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Physics or Mathematics) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/ शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु	(i) शैक्षणिक योग्यता जो वैज्ञानिक सहायक (आग्नेयास्त्र) के लिए मान्य है। (ii) कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।		वैज्ञानिक सहायक संवर्ग

				आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना आवश्यक है।			
3	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (साईबर फॉरेंसिक/ साईबर क्राईम) 9300-34800+4800 (GP)	श्रेणी-II राजपत्रित	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ एम0सी0ए0/सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर साईन्स में बी0ई0/बी0 टेक अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव	(i) शैक्षणिक योग्यता जो वैज्ञानिक सहायक (साईबर फॉरेंसिक/ साईबर क्राईम)के लिए मान्य है।		वैज्ञानिक सहायक संवर्ग
4	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (फॉरेंसिक इन्जिनियरिंग एवं उपकरण) 9300-34800+4800 (GP)	श्रेणी-II राजपत्रित	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ इलेक्ट्रॉनिक एवं इन्सट्रुमेन्टेशन तथा समकक्ष में बी०ई०/बी०टेक/एम०एस०-सी० उपकरण अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव	(i) शैक्षणिक योग्यता जो वैज्ञानिक सहायक (फॉरेंसिक इन्जिनियरिंग एवं उपकरण)के लिए मान्य है।		वैज्ञानिक सहायक संवर्ग
5	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (फोटोग्राफी) 9300-34800+4800 (GP)	श्रेणी-II राजपत्रित	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ भौतिकी विज्ञान विषय में एम०एस०-सी०	(i) शैक्षणिक योग्यता जो वैज्ञानिक सहायक (फोटोग्राफी) के लिए मान्य है।		वैज्ञानिक सहायक संवर्ग

				अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Physics) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/ शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का Certificate Course होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना आवश्यक है।			
6	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (डाक्यूमेंट) 9300-34800+4800 (GP)	श्रेणी-II राजपत्रित	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ भौतिकी/रसायन में एम०एस०-सी० अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Physics or	(i) शैक्षणिक योग्यता जो वैज्ञानिक सहायक (डाक्यूमेंट) के लिए मान्य है।		वैज्ञानिक सहायक संवर्ग

				Chemistry) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/ शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का Certificate Course होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	(ii) कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।		
7	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (सामान्य रसायन) 9300-34800+4800 (GP)	श्रेणी-II राजपत्रित	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ रसायन शास्त्र में एम०एस०-सी० अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Chemistry) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/ शोध संस्थान में संबंधित विषय में	(i) शैक्षणिक योग्यता जो वैज्ञानिक सहायक (सामान्य रसायन) के लिए मान्य है। (ii) कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।		वैज्ञानिक सहायक संवर्ग

				दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का Certificate Course होना आवश्यक है। (कम से कम छः माहका Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना आवश्यक है।			
8	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (विष विज्ञान) 9300-34800+4800 (GP)	श्रेणी-II राजपत्रित	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ रसायन शास्त्र में एम०एस०-सी० अथवा किसीमान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Chemistry) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/ शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का Certificate Course होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer	(i) शैक्षणिक योग्यता जो वैज्ञानिक सहायक (विष विज्ञान) के लिए मान्य है। (ii) कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।		वैज्ञानिक सहायक संवर्ग

				Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना आवश्यक है।			
9	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (विस्फोटक) 9300-34800+4800 (GP)	श्रेणी-II राजपत्रित	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ रसायन शास्त्र में एम०एस०-सी० अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Chemistry) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/ शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का Certificate Course होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	(i) शैक्षणिक योग्यता जो वैज्ञानिक सहायक (विस्फोटक) के लिए मान्य है। (ii) कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।		वैज्ञानिक सहायक संवर्ग

10	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (नारकोटिक्स) 9300-34800+4800 (GP)	श्रेणी-II राजपत्रित	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ रसायन शास्त्र में एम०एस०-सी० अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर B.SC (Chemistry) Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/ शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का Certificate Course होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	(i) शैक्षणिक योग्यता जो वैज्ञानिक सहायक (नारकोटिक्स) के लिए मान्य है। (ii) कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।		वैज्ञानिक सहायक संवर्ग
11	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (जीव विज्ञान) 9300-34800+4800 (GP)	श्रेणी-II राजपत्रित	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ जन्तु विज्ञान/जीव रसायन/बनस्पति विज्ञान/ मोलेक्यूलर जीव	(i) शैक्षणिक योग्यता जो वैज्ञानिक सहायक (जीव विज्ञान) के लिए		वैज्ञानिक सहायक संवर्ग

				विज्ञान/बायो टेक्नोलॉजी (In any Stream) /माइक्रो बाईलॉजी/लाईफ साइन्स में एम०एस०-सी० अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर किसी एक विषय में B.SC(जन्तु विज्ञान/जीव रसायन/वनस्पति विज्ञान/ मोलेक्यूलर जीव विज्ञान/ बायों-टेक्नोलॉजी(In any Stream/माइक्रो बाईलॉजी/लाईफ साइन्स)Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/ शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का Certificate Course होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	मान्य है।		
12	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (सीरम विज्ञान) 9300-34800+4800 (GP)	श्रेणी-II राजपत्रित	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ जन्तु विज्ञान/ जीव रसायन/वनस्पति विज्ञान/ मोलेक्यूलर जीव विज्ञान/बायो टेक्नोलॉजी (In any	(i) शैक्षणिक योग्यता जो वैज्ञानिक सहायक (सीरम विज्ञान) के लिए मान्य है।		वैज्ञानिक सहायक संवर्ग

				Streem/माइक्रो बाईलॉजी/लाईफ साइन्स में एम०एस०-सी० अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर किसी एक विषय में B.SC(जन्तु विज्ञान/जीव रसायन/वनस्पति विज्ञान/ मोलेक्यूलर जीव विज्ञान/बायो-टेक्नोलॉजी (In any Streem/ माइक्रो बाईलॉजी/लाईफ साइन्सHonours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/ शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का Certificate Course होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	(ii) कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है।		
13	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (डी०एन०ए०) 9300-34800+4800 (GP)	श्रेणी-II राजपत्रित	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ जन्तु विज्ञान/ जीव रसायन/वनस्पति विज्ञान/ मोलेक्यूलर जीव विज्ञान/बायो टेक्नोलॉजी(In any Streem /माइक्रो बाईलॉजी/लाईफ साइन्स में एम०एस०-सी०	(i) शैक्षणिक योग्यता जो वैज्ञानिक सहायक (डी०एन०ए०) के लिए मान्य है।		वैज्ञानिक सहायक संवर्ग

				अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर किसी एक विषय में B.SC(जन्तु विज्ञान/जीव रसायन/वनस्पति विज्ञान/ मोलेक्यूलर जीव विज्ञान/ बायों-टेक्नोलॉजी (In any Stream/ माइक्रो बाईलॉजी/लाईफ साइन्स Honours होना आवश्यक है। (ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/ शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का Certificate Course होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना आवश्यक है।			
14	सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (लाई डिटेक्शन) 9300-34800+4800 (GP)	श्रेणी-II राजपत्रित	सरकार द्वारा निर्धारित विहित उम्र सीमा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ मनोविज्ञान में एम०एस०-सी० अथवा एम०ए० अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंको के साथ Forensic Science में M.SC एवं स्नातक स्तर पर मनोविज्ञान में B.SC /B.A Honours होना आवश्यक है।	शैक्षणिक योग्यता जो वैज्ञानिक सहायक (लाई डिटेक्शन) के लिए मान्य है।		वैज्ञानिक सहायक संवर्ग
					(ii) कम्प्यूटर का ज्ञान		

				(ii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विश्वविद्यालय/कॉलेज के प्रयोगशाला/ शोध संस्थान में संबंधित विषय में दो वर्षों का कार्य करने का अनुभव (iii) राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर का Certificate Course होना आवश्यक है। (कम से कम छः माह का Diploma in Computer Application) परन्तु आयोग अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर ज्ञान की जानकारी हेतु 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। जिसमें अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना आवश्यक है।	होना आवश्यक है।		
--	--	--	--	---	-----------------	--	--
